



क्रमांक/व्यापम/दा.आ./2024/1056

रायपुर, दिनांक 10/6/24

सूचना

छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड रायपुर के अंतर्गत सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ, सचिव कनिष्ठ भर्ती परीक्षा (MBD23) के मॉडल उत्तर पर पुनः दावा-आपत्ति आमंत्रित करने के सम्बंध में

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/बी-1/1/विविध/176-4 (i)/2022-23/4052 दिनांक 13.09.2023 एवं पत्र क्रमांक/बी-1/1/विविध/176-4 (आई)-(II)/2023-24/4381 दिनांक 25.09.2023 द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ, सचिव कनिष्ठ भर्ती परीक्षा (MBD23) का आयोजन दिनांक 25.02.2024 को पूर्वाह्न 10.00 से 12.15 बजे तक प्रदेश के 8 जिला मुख्यालयों में किया गया था।


उपरोक्त भर्ती परीक्षा के मॉडल उत्तर व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर दिनांक 01-03-2024 को प्रदर्शित किया गया था। अभ्यर्थी वेबसाइट में प्रदर्शित उत्तरों पर सप्रमाण दावा-आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 04-03-2024, रात्रि 11.59 बजे तक था।

दावा-आपत्ति आमंत्रण का लिंक कतिपय तकनीकी कारणों से निर्धारित समय के पूर्व समाप्त हो गया था, जिसके कारण कुछ अभ्यर्थी द्वारा सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ, सचिव कनिष्ठ भर्ती परीक्षा (MBD23) में दावा-आपत्ति दर्ज नहीं कर पाये थे।

अतः अभ्यर्थी हित में उक्त परीक्षा के मॉडल उत्तर पर दावा-आपत्ति व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर दिनांक 12-06-2024 प्रातः 11.00 AM से 14.06-2024 अपराह्न 3.00 PM तक पुनः आमंत्रित किया जा रहा है। अभ्यर्थी वेबसाइट में प्रदर्शित उत्तरों पर सप्रमाण दावा-आपत्ति अपने व्यापम प्रोफाइल में लॉगिन कर दावा-आपत्ति टैब में जाकर दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किया जावेगा। पूर्व में जो अभ्यर्थी दावा-आपत्ति दर्ज करा चुके हैं उन्हें पुनः दावा-आपत्ति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

पोर्टल पर दावा-आपत्ति हेतु अभ्यर्थी को अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड डालकर प्रोफाइल में लॉगिन करना होगा और निर्देशानुसार दावा-आपत्ति दर्ज करानी होगी। दावा-आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया का मेनुअल URL के मुख्य पृष्ठ पर दिया गया है। कृपया इसका भलीभाँति अध्ययन कर लें। दावा-आपत्ति को पोर्टल पर पंजीकृत कराने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिये जाने वाले दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अपलोडिंग हेतु तैयार रखें एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती भी डाउनलोड कर लें।

नियत दिनांक एवं निर्धारित समय के पश्चात् पोर्टल पर प्राप्त दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं होंगे। बिना प्रमाण का दावा-आपत्ति को पूर्णतः अमान्य किया जावेगा। प्राप्त दावा-आपत्ति के परीक्षण पश्चात् विषय विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा। दावा-आपत्ति के सम्बन्ध में विषय विशेषज्ञों का निर्णय ही मान्य होगा।


नियंत्रक

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
रायपुर

पृ.क्र./व्यापम/दा.आ./2024/1057
प्रतिलिपि-

रायपुर, दिनांक 10/6/24

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, (चिप्स) स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं उक्तानुसार विभागीय कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- प्रधान संपादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र- कृपया उक्त सूचना को परीक्षार्थियों के हित में अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में एवं प्रदेश से मुद्रित होने वाले सभी संस्करणों में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।


नियंत्रक

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
रायपुर